

अपील सूचना अधिकार संख्या 62/2024 (GCMS 2024/219) (आईटीआई पोर्टल नं. 212560796609003) पवन कुमार निवासी 2जीडी-ए, जीडी-बी घडसाना, जिला अनूपगढ़

18.10.2024



पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री पवन कुमार ने यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(1) के तहत उपखण्ड अधिकारी घडसाना के विरुद्ध ऑनलाईन प्रस्तुत की गई है और अपीलार्थी के ऑनलाईन आवेदन पत्र के संलग्न दस्तावेजों में प्रार्थी द्वारा 02 बिन्दुओं की सूचना उपखण्ड अधिकारी, घडसाना जिला अनूपगढ़ से चाही गई है।

चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना उपखण्ड अधिकारी, घडसाना जिला अनूपगढ़ से सम्बन्धित है। अद्योहस्ताक्षरकर्ता को अनूपगढ़ जिले के उपखण्ड अधिकारी के विरुद्ध अपील सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं है। इसलिए अपीलार्थी वांछित सूचना हेतु अनूपगढ़ जिले के प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने के लिए स्वतन्त्र है। क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर अपीलार्थी की अपील यहां से खारिज करने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी की अपील यहां से खारिज की जाती है। अपील दर्ज रजिस्टर हो। अपीलार्थी को आरटीआई पोर्टल के माध्यम से सूचित किया जावे। पत्रावली बाद तुरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 18.10.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(डॉ. मन्जु)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर